



राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 47 अंक 10 Website: <http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in> 1 जुलाई, 2024 फोन : 0141-2368398 मूल्य : 3.00 वार्षिक शुल्क 60 रु

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: वि.सं. 01/परीक्षा/A.D./Sci.&Tech./EP-I/2024-25

दिनांक 14.06.2024

आयोग द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के अन्तर्गत सहायक निदेशक (Assistant Director) के कुल 09 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

Name of Post	No. of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.				
		GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	
Assistant Director	09	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Horizontal Reservation :- 1. Ex. Ser. - (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0)
2. P.H.- (i) B/LV-01, (ii) D., H.H.- 0 (iii) LD/CP & Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D, Autism & (b) Mul.Dis. - 0

Abbreviations Used: GEN - General, U.R.- Unreserved, SC - Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC - Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS - Economically Weaker Sections, GEN WE - General Women, WD-Widow, DV-Divorcee, B/LV- Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Others - Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, I.D. - Intellectual disability, M.I.- Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis.- Multiple Disability, Ex. Ser. - Ex Serviceman, P.H. - Physical Handicapped.

टिप्पणी:- एकाधिक दिव्यांगता (Mul. Dis.-Multiple Disability) श्रेणी के लिए उपयुक्त सारणी में दिव्यांगता की दर्शाई गई श्रेणियों में से (i) एवं (ii) की अनिवार्यता के साथ (iii) अथवा (iv)(a) में वर्णित कोई एक विकलांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अर्थवर्गीय उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को परचातवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्त पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अर्थवर्गीय उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विधिच्छन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी भी पात्र और उपयुक्त अर्थवर्गीय के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विधिच्छन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विधिच्छन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अर्थवर्गीय के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अर्थवर्गीय के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अर्थवर्गीयों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अर्थवर्गीयों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्त पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विधिच्छन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अर्थवर्गीय जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या आगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्त उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्त आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोजित उस रिक्त को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

टिप्पणी:- "बिन्दु संख्या 01 से 07 तक के प्राक्धान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होगा।"

- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ :
- Ist Class Master's degree in Natural or Agricultural sciences. OR Ist Class Masters degree in Engineering or Technology. OR Ist Class M.Sc/M.Tech (with graduate degree in science/engineering) in Remote Sensing & G.I.S from a recognized university or equivalent and
 - Two Years specialized experience in research & development/industrial/academic institution/science & technology organization
 - Working knowledge of Hindi written in Devnagari script and knowledge of Rajasthan Culture.

आवश्यक नोट:-अर्थवर्गीयों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वांछित अनुभव ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है जिसे विज्ञापन के साथ संलग्न किये गये प्रारूप में तैयार कर ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करायेगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित वांछित अनुभव प्रमाण पत्र, अर्थवर्गीय द्वारा अपलोड नहीं करने पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र नहीं होगा। (क्रमशः)

- शासन के परिपत्र क्रमांक प.सं/राज/13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह प्रतीक रखा जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र तथा सम्य प्रस्तुत करना बांभीगी होगा।
- ऐसा कोई भी अर्था, जिसके 01.08.2002 को या उसके समकालीन से अधिक बच्चे/सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चे/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चे/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि वही किसी आवेदक के पूर्वतः प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक परचातुर्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तान पैदा होते हैं, वहाँ बच्चे/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या को गणना करते समय ऐसी संतान को, जो पूर्वतः प्रसव से पैदा हुई थी और निश्चिता हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अर्था जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनिषद के अंतर्गत नियुक्ति के लिए निर्दिष्ट नहीं है तो उसे निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस निषेध के अन्तर्गत किसी विवाह एवं विधिगत विवाह/तलाक़/परित्यक्त श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी सन्ध-पत्र तथा सम्य प्रस्तुत करना बांभीगी होगा।
- आवेदक को विज्ञान में उल्लेखानुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र तथा सम्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- विद्यमान विवाह/तलाक़/परित्यक्त श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन को अंतिम दिनांक तक एवं किया महिला को आवेदन को अंतिम तिथि तक अथवा विवाह के द्वारा श्री/श्रीमती संशोधन करने पर उसे श्री/श्रीमती संशोधन को दिनांक तक पुनर्विचार नहीं किया जाने संबंधी सन्ध-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को अंतिम शैक्षणिक संस्था का चयन प्रमाण-पत्र तथा सम्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें क्षेत्र के सम्बन्ध में उन से कम 'अच्छा' का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
- आवेदक को चयन उपरान्त आयोग सम्बन्धी पुलिस सहायक प्रमाण-पत्र तथा सम्य नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के विज्ञान ऐसी किसी आरक्षिक भाग का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आरक्षिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/बाद न्यायिक रूप से विचारधीन होने पर नियुक्ति हेतु अज्ञ होना।
- आवेदक को चयन उपरान्त सन्ध प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच सम्बन्धी चिकित्सक प्रमाण-पत्र तथा सम्य नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णतः स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
- आवेदक को पहले से ही सकारा सेवा तथा केन्द्रीय/राज्य/सकारा उपक्रमों में नियुक्ति है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु नहीं में हो गया है, उन्हें अपने नियोजन से आपाति प्रमाण-पत्र तथा सम्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- अर्था की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा निषेध के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं करने के सम्बन्ध में विवेक निम्न:-

अर्था ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकाधिकारी पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संबंधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्ति/ऑनलाइन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाइन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुद्धि आयोग द्वारा अर्था की पात्रता की जांच सम्बंधित नहीं परीक्षा के अंगीण जारी होने के पश्चात अर्था रूप से स्थापित अर्थाओं द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र के सम्बन्ध से पूर्व किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में धरो गई सूचना के आधार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में धरो गई सूचना को सही मानते हुए नहीं परीक्षा में अर्था प्रवेश दिया जाएगा। अगर अर्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अर्था का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अर्था को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विवेक नोट:-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञान में विज्ञापित पद हेतु समस्त उम्मीदवार उक्तानुसार सच को जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मेल/अन्य प्रोत्सा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लान्/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपयुक्त विधायित प्रक्रिया अनुसार अर्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवश्यक शोधित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञान के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रहता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाइन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अर्था को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य विन्दु व सूचना - एकधिकारी पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संबंधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में सम्य-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpac.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के नगं निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित सहायक सच एवं व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं-0145-2635212 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचद, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बंधित किया जा।

डी.आई.पी.आर/सी/4429/2024 रा.रो.सं 26/2024

(रामनिवास मेहता)
सचिव

Experience Certificate related to Water & Silicate Analysis

पत्रावली क्रमांक:..... प्रेषित क्रमांक:..... दिनांक:.....

विभाग/कार्यालय/संस्था/कम्पनी का नाम:.....

(यदि पता कोन नंबर ई-मेल आईडी):.....

संस्था/कम्पनी का राजिस्ट्रेशन नं० एवं राजिस्ट्रेशन वर्ष:.....

जिला (राज्य) का नाम:.....

संस्था/कम्पनी का पंजीकरण करने वाली संस्था का नाम:.....

कर्मचारी की सेवा पुस्तिका/संस्था/कम्पनी के अगिलेख के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..... जिला/परि का नाम..... जन्म तिथि..... इस विभाग/संस्थान/कम्पनी में प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक..... से निम्न पद/पदों पर कार्यरत रहे हैं/कार्यरत थे जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पद का नाम	पदस्थान स्थान	अवधि		वेतन	किये गये कार्य का स्पष्ट एवं विस्तृत विवरण
			से	तक		
1						
2						
3						
4						
योग सेवाकाल /						

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..... दिनांक..... से..... तक कुल वर्ष..... माह..... दिन..... के कार्य का संतोषजनक अनुभव रखते/रखती है।

प्रति हस्ताक्षर (सहम अधिकारी) (आवश्यकता होने पर)..... संस्था/कम्पनी के सहम अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर मध्य सील.....

नोट-को लागू न हो उसे काट (X) दें। उक्त के अतिरिक्त पूर्ण प्रतिधि करें।

Rajasthan State Highways Authority
(Constituted by State Government through Notification dated June 2, 2015 in P.W.D., Rajasthan)
Corporate Office: Nirman Bhawan, Jacob Road, Civil Lines, Jaipur-302006

No: F.7(353)SHA/PPP/2018-19-00001-Part File(1)D-510 Date: 24.06.2024

RECRUITMENT NOTICE

Rajasthan State Highways Authority invites applications for recruitment to the following posts:-

S. No.	Name of The Post	No. of Posts	Method of Recruitment
1	Member (Safety and Technology)	01	On the recommendation of a Search & Selection Committee
2	Member (Concessions and Public-Private Partnerships)	01	

Details regarding Essential Qualification, Terms and Conditions, and Application are enclosed and can be seen on the Authority's website <https://rsha.rajasthan.gov.in> or <https://www.rajasthan.gov.in>. Application in the prescribed format shall reach RSHA Head Quarter at Jaipur by July 15, 2024, up to 15.00 Hrs. (IST) or can be e-mailed on: hr.ssha@rajasthan.gov.in. The envelope containing the application must be superscripted in bold letters as "Application for the post of Member (Safety and Technology)/ Member (Concessions and Public Private Partnerships).

The advertisement can be withdrawn at any time at the discretion of the Competent Authority without assigning any reasons thereof. "Corrigendum" or "Addendum" or "Cancellation" to this advertisement, if any, shall be published only on the website of RSHA and will not be published in the newspapers. Therefore, the Applicants are advised to check the website of RSHA regularly.

(V.L. Dhanekar)
Member, RSHA
Nirman Bhawan, Jacob Road,
Civil Lines, Jaipur-302006

डी.आई.पी.आर/सी/4941/2024 रा.रो.सं 27/2024

वार्षिक अभिदाताओं/एजेंट हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे वर्तमान में ₹ 40/- के एवज में ₹ 60/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं।

- संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों/संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है।

- सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

पुत्र सम्पादक
धर्मावत मीना
निदेशक, सेवाएं सेवा निदेशक
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
हरी राम बडगुजर
उप निदेशक, राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, देवाक कुल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 23668398
e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in